>

Title: Need to provide compensation to the villagers of Gomia block of Bokaro district whose land was acquired by Central Coalfields Limited.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से झारखंड प्रदेश के बोकारो जिला जो अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर भूमिया प्रखंड के अंतर्गत पचमू पंचायत में ग्रामीणों के द्वारा 1980-1982 में सैन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के द्वारा जमीन अधिग्रहीत की गई। वह जमीन किसी कंपनी को दे दी गई है। आज की तारीख में न तो उन लोगों को नौकरी मिली और न ही मुआवज़ा मिला है। और तो और आज की तारीख में जो जमीन ली गई है, उसकी जो बची हुई जमीन है, ये लोग उसकी रसीद तक नहीं काट रहे हैं और साथ-साथ अगर उनको जमीन की आवश्यकता नहीं है तो वे जमीन को वापस कर दें ताकि वहां के किसान उस पर खेती-बाड़ी कर सकें।

महोदय, यह विषय पहले भी लोक सभा में शून्य काल में उठाया गया है। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और आपको जान कर ताज्जुब लगेगा कि गिरीडीह जिले में जो बनियाडी कोलियरी है, उसमें 16 पंचायत हैं। यहां पर इंदिरा आवास योजना के आवास नहीं बन रहे हैं क्योंकि जमीन के नो - ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं। साथ-साथ उन लोगों के आवास भी नहीं बन पा रहे हैं। न ही मनरेगा का कोई काम हो रहा है। न ही कोई सामुदायिक भवन बन पा रहा है। आपको ताज्जुब लगेगा कि उस क्षेत्र में 16 पंचायत हैं, लेकिन वहां आज तक पंचायत भवन का भी निर्माण नहीं हो सका है। आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरा आग्रह होगा की यह योजना, जो लंबित है, इसको शुरू करवाया जाए।